| |
|---|
| दिनांक 30.06.2024 |
| प्रेस विज्ञप्ति 41/2024 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना अरनिया</u>**

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 29.06.2024 की रात्रि थाना अरनिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शाहपुर बम्बे के पास से चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त शाहरूख उर्फ टूटू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, मथुरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, सीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना अरनिया पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अरनिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1—शाहरूख उर्फ टूटू निवासी रोहिन्दा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

**बरामदगी**

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

## जनपद मीरजापुर/थाना मड़िहान

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के आभूषण, नगद रूपये बरामद**

दिनांक 30.06.2024 को थाना मड़िहान व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राजगढ़ तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त बांके उर्फ बंगा उर्फ शिव गोविन्द को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के सोने के आभूषण, नगद रूपये बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना मड़िहान पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मड़िहान पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–बांके उर्फ बंगा उर्फ शिव गोविन्द निवासी लेवड़ा थाना नोखा जनपद रोहतास बिहार।

**बरामदगी**

1–लूट के सोने के आभूषण, नगद रूपये।

## जनपद कानपुर देहात/थाना भोगनीपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 29.06.2024 को थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भोगनीपुर चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शाहरूख को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—शाहरूख निवासी पातेपुर अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

## जनपद कानपुर देहात/थाना भोगनीपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 30.06.2024 को थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन पुखरायां गेट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अमित को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—अमित निवासी राजेन्द्र नगर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

## जनपद पीलीभीत/थाना बीसलपुर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 12 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस**
- **02 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) आदि बरामद**

दिनांक 30.06.2024 को थाना बीसलपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मानपुर पुल के पास से 05 अभियुक्तों 1— राजू 2— सौरभ उर्फ भूरे 3— संतोष कुमार

4–रजनीश 5–अंकित को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 12 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस, 02 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि थाना बीसलपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बीसलपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सौरभ उर्फ भूरे के विरूद्ध जनपद शाहजहाँपुर, पीलीभीत के विभिन्न थानो में लूट, चोरी आदि के 06 अभियोग, अभियुक्त रजनीश के विरूद्ध जनपद पीलीभीत के विभिन्न थानो में लूट आदि के 04 अभियोग एवं अभियुक्त राजू, संतोष कुमार व अंकित के विरूद्ध जनपद पीलीभीत के विभिन्न थानो में लूट आदि के 03–03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बीसलपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–राजू निवासी हमजापुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

2–सौरभ उर्फ भूरे निवासी ग्राम हमजापुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

3–संतोष कुमार निवासी गोवल पतिपुरा थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।

4–रजनीश निवासी ग्राम बढेपुरा थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।

5–अंकित निवासी ग्राम गोवल पतिपुरा थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।

**बरामदगी**

1–लूट के 12 मोबाइल फोन।

2–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

3–02 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) आदि।

**जनपद बुलन्दशहर/थाना अगौता**

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद**

दिनांक 29/30.06.2024 की रात्रि थाना अगौता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर किसोली मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त नन्हे उर्फ नियाज घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ, बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना अगौता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—नन्हे उर्फ नियाज निवासी खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

**बरामदगी**

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

➢ **<u>जनपद मीरजापुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद मीरजापुर पुलिस ने अभियुक्त इरशाद उर्फ सोनू कुरैशी पुत्र कतारू उर्फ कतवारू कुरैशी निवासी ग्राम गरौड़ी थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ रू0 को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

-----